में जान-बूझ कर विलम्ब किया जा रहा है और केन्द्र सरकार भी राजस्थान सरकार को उसका हक प्राप्त करने में उचित सहयोग देने में विलम्ब कर रही है। यह प्रश्न राजस्थान प्रान्त विशेषत: थार रेगिस्तान के क्षेत्र, बाड़मेर एवं जालौर जिलों, के लिए जीवन मरण का प्रश्न है।

अत: केन्द्रीय सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि इस अविलम्बनीय प्रश्न को राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफ़ारिश के अनुसार राष्ट्रीय जल स्रोत कौंसिल, नेशनल वाटर रीसोर्सिज़ कौंसिल, में रखा जाए और प्रधान मंत्री जी विशेष दिलचस्पी ले कर जल्दी से जल्दी निर्णय करा कर राजस्थान प्रांत के रेगिस्तानी बाड़मेर एवं जालौर ज़िलों में माही नदी का पानी पहुंचा कर उक्त क्षेत्र को सिंचित कर हरा-भरा करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाएं।

(ii) NEED TO REVISE GOVERNMENT PROCUREMENT POLICY ON OPIUM.

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तोड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अफ़ीम-उत्पादक किसानों की परेशानियों की तरफ़ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। अफ़ीम की खेती भारत में बहुत प्राचीन काल से की जाती रही है। आज भी दुनिया में अत्यधिक मात्रा में अफ़ीम भारत में पैदा होती है। यह एक महत्वपूर्ण भारतीय कृषि उत्पादन है, जिसका उपयोग जीवन रक्षक औषधियों में किया जाता है। देश की कई औषधियां बनाने वाली फ़ैक्टरीज़ की आवश्यकता पूरी करने के अतिरिक्त विश्व बाजार में भी भारतीय अफ़ीम एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसमें मार्फ़ीन की मात्रा सब से अधिक होती है। इस लिए इसका निर्यात किया जाता है, जिससे भारत सरकार को अच्छी विदेशी मुद्रा मिलती है। आज देश में 25 लाख किसान इसकी खेती में लगे हैं। यू पी तथा मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में कुछ मात्रा में इसकी खेती होती है, पर मुख्यता इसका उत्पादन मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में, राजस्थान में चितौड़गढ़ तथा कोटा ज़िले में, होता है। वित्त मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स विभाग इसकी क्रय-नीति तथा निर्यात नीति तय करता है। अभी हाल ही में इसके ख़रीद मूल्य की सरकारी नीति से इसके उत्पादकों को भारी नुक़सान हुआ है।

आज खेती की सब चीज़ों के मूल्य बढ़े हैं। खाद कीटनाशक दवाइयों आदि के मूल्य बढ़े हैं। आपने गेहूं तथा अन्य अनाज के सरकारी ख़रीद मूल्य को बढ़ाया है, अफ़ीम-उत्पादकों के मूल्यों को पता नहीं क्यों घटाया गया है।

अफ़ीम बड़ी नाज़ुक फ़सल है। मौसम में परिवर्तन बादल का होना, हवाएं इस पर कुप्रभाव डालती हैं। इस समय ओला-वृष्टि तथा तेज़ हवाओं से किसानों की अफ़ीम की फ़सल नष्ट हो गई है। ऐसे भी बड़ी निपुणता से वह खेती होती है। अब सरकार की नई नीति से अफ़ीम-उत्पादक किसान बहुत परेशान है। आपने ख़रीद के स्लैब बनाए हैं:-

(1) 30 कि० ग्राम प्रति-हेक्टर से कम उत्पन्न करने पर : 130 रु० प्रति कि० ग्राम

(2) 30 कि० ग्राम से अधिक पर 45 कि० ग्राम से कम पर –240 रुपये प्रति कि० ग्राम।

(3) 45 कि० ग्राम से अधिक, पर 60 कि० ग्राम से कम पर – 280 रु० प्रति कि० ग्राम

(4) 60 कि ग्राम से अधिक पर – 300 रुपये प्रति कि० ग्राम

[प्रो० निर्मला कुमारी]

यह उच्चतम दर केवल अतिरिक्त अफीम की मात्रापर ही दी जाएगी, जिस श्रेणी में वह आती है, न कि पूरी अफीम पर। पूर्व की नीति में पैसे तुलनात्मक रूप से कम थे, पर वह पूरी अफीम की मात्रा पर मिलते थे। इस लिए किसान अधिक से अधिक अफीम सरकार को ही ईमानदारी से देना चाहता था।

अब आप के इस स्लैब सिस्टम से कुल मिलाकर जो काश्तकार ईमानदार हैं, अधिक उत्पादन करते हैं, वे नुकसान में रहेंगे। आप किसानों की मेहनत और उनकी मजबूरी को ध्यान में रखें। समय रहते ध्यान दें, वर्ना धीरे-धीरे किसान इस नाजुक तथा परिश्रम - साध्य खेती को छोड़ कर अन्य वाणिज्यिक फसलें बोने लगेगा।

आप कहते हैं कि हमारे पास विश्व बाजार में अफीम नहीं बिक रही है, भारी स्टाक जमा है। क्यों नहीं आप इस दुर्लभ तथा जीवन-रक्षक औषधियों के निर्माण के कच्चे माल को बेचने के लिए विश्व बाजार ढूढते हैं ? राष्ट्रीय औषध निर्माण उद्योगों में भी इसकी खपत बढ़ाई जा सकती है।

(iii) STEPS TO CHECK LAND GRABBING BY ANTI-SOCIAL ELEMENTS IN DELHI.

श्री कुंवर राम (नवादा) : उपध्यक्ष महोदय, असामाजिक तत्वों द्वारा दिल्ली में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वे गरीब मजदूरों को बहका कर जगह जगह खाली स्थानों पर झोंपड़ीयां लगा देते हैं और स्थानीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से उन जमीनों पर पुराना कब्जा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें राशन कार्ड आदि बनवा देते हैं और मतदाता सूची में भी उनका नाम लिखवा देते हैं और बाद में जब सफाई अभियान के दौरान उन्हें उजाड़ा जाता है तो सरकारी नीति के अन्तर्गत उन्हें 25-25 गज जमीन और अन्य सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसका लाभ यदि शहरों के गरीब कामगारों को मिलता तो बेहतर बात होती परन्तु ऐसा नहीं होता। जो असमाजिक तत्व उन्हें जैसे-तैसे जमीन आवंटित कराते हैं वे ही उनसे कई तरह के कागज बनवाकर जमीनों को अपने हाथ में कर लेते हैं और फिर उसे बाजार भाव से बेचते हैं। उसके बाद फिर से किसी दूसरे प्लाट पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं।

अगर दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों का सर्वे किया जाय तो उसके 60-70 प्रतिशत मूल आवंटी पाये जाएंगे और उनकी जमीन, उनका मकान गैर-मजदूरों के हाथ होगा। अधिकांश परिवार पावर आफ एटार्नी अर्थात् मुखतारनामा प्राप्त किए रहते हैं लेकिन सच्चे अर्थ में उस मकान जमीन के खरीदार दूसरे होते हैं। लक्ष्मी नगर और जनकपुरी, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गगनचुम्बी इमारतों का बाजार अर्थात् जिला केन्द्र बनाने का निर्णय लिया है, वहां अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। वहां के मूल आवंटी भी अपने आस-पास की पड़ती जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सूचना मिली है कि लक्ष्मी नगर के राम दास नगर में दो हेक्टेयर भूमि पार्क के लिए सुरक्षित थी जिसका भी अवैध कब्जा कर लिया गया है। पुलिस सूचना दर्ज करने से इन्कार करती है। दिल्ली विकास प्रधिकरण ने भी कोई कार्यवाही नहीं की है। इन क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा रातों रात सैकड़ों झोंपड़ियां खड़ी की जा रही हैं। वे लोग अपने को प्रधान कहते हैं परन्तु वास्तव में वे गुण्डे हैं। आस-पास की जनता को डरा धमका कर झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती बनाने का धंधा कर